भांडागारणविकासऔरविनियामकप्राधिकरण
भारतसरकार
एनसीयूआईभवन, चौथीमंज़िल, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्तक्रान्तिमार्ग,
हौज़ खास, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष: - 49536496, 49092978

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

एफ नंबर टी-/2025-तकनीकी-पार्ट(1) दिनांक: 10.01.2025

डब्लूएच पंजीकरण के लिए आवेदकों के लिए सलाह

विषय: भांडागार पंजीकरण आवेदन के लिए दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ।

डब्लू.डी.आर.ए पोर्टल पर भांडागार पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, आवेदकों / भांडागारपालों से अनुरोध है कि वे भांडागार पंजीकरण आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ और आवश्यकताएँ प्रदान करें ताकि डब्लू.डी.आर.ए भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के अनुसार भांडागार पंजीकरण पर त्वरित कार्रवाई की जा सके ।

1. प्लिंथ की ऊँचाई का फोटो: मापने वाले टेप का उपयोग कर भांडागार की प्लिंथ की ऊँचाई को स्पष्ट रूप से दिखाते हुए जियो-टैग किया गया फोटोग्राफ अपलोड करें।

2. बाउंड्री वॉल /कांटेदार तार की बाड़ का फोटो: आवेदन के एक हिस्से के रूप में भांडागार की बाउंड्री वॉल / कांटेदार तार की बाड़ का एक स्पष्ट जियो-टैग फोटो अपलोड किया जाए ।

3. अग्नि उपकरण का फोटो: पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरण दिखाते हुए एक जियो-टैग किया गया फोटो अपलोड करें ।

4. भांडागार के नाम का फोटो: - भांडागार के एक जियो-टैग किया गया फोटो, जिसमें प्रवेश द्वार पर भांडागार का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, अपलोड किया जाए ।

5. पिछले आवेदन का विवरण (यदि लागू हो): यदि भांडागार आवेदन/तत्काल भांडागार ने पहले डब्लू.डी.आर.ए को पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को यह निम्नलिखित प्रदान करना होगा:

I. पिछले आवेदन की आवेदन पावती (ACK) संख्या।
II. पिछले आवेदन/भांडागार को अस्वीकार करने का कारण।

6. भांडागार की सुरक्षा और स्थान की निकटता के लिए पत्र: आवेदक को निम्नलिखित की पुष्टि करते हुए एक पत्र प्रस्तुत करना होगा: -

I. “भांडागार किसी हड्डी-कुचलने वाली मिल, कचरा डंपिंग ग्राउंड, बूचड़खाने, टेनरियों, खाल के उपचार केंद्र, सीवेज उपचार संयंत्र के 500 मीटर के भीतर स्थित नहीं है, जो जल्दी खराब न होने वाली कृषि वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण के लिए हानिकारक है।”

II. भांडागार भट्टों, डेयरियों (प्रसंस्करण इकाइयों), या पोल्ट्री फार्मों के 300 मीटर के भीतर नहीं है।

III. भांडागार कारखानों या आग के खतरे के अन्य स्रोतों, जैसे वर्कशाप, घास के ढेर, लकड़ी के भंडार, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट आदि के 150 मीटर के भीतर स्थित नहीं है।

यह सलाह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की गई है।

डॉ. रचना शालिनी

(उप निदेशक ओपीएस)